सं. 11011/03/2025-रा.भा.(अनु.)
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-।। भवन, बी विंग, चौथा तल,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 30 जनवरी, 2025.

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मंत्रालयों/विभागों में गठित की जाने वाली हिंदी सलाहकार समितियों में संबंधित मंत्रालय द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन के संबंध में स्पष्टीकरण।

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में गठित की जाने वाली हिंदी सलाहकार समितियों में संबंधित मंत्रलायों/विभागों के माननीय मंत्री द्वारा अपने मंत्रालय की ओर से कुल 04 गैर-सरकारी हिंदी विद्वानों का चयन व नामांकन किया जाता है ।

2. उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 31-05-2000 के अपने का. ज्ञा. सं. II/20015/4/2000-रा.भा.(नीति-2) द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए थे। (प्रतिलिपि संलग्न)

3. उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुक्रम में स्पष्ट किया जाता है कि "हिंदी सलाहकार समितियों में मंत्रालयों/विभागों द्वारा नामित किए जाने वाले 04 गैर-सरकारी सदस्यों के लिए सेवारत राजभाषा कर्मियों को नामित न किया जाए।"

अनिल कुमार

(अनिल कुमार)
उप सचिव (अनुसंधान)
दूरभाष: 23438129

प्रतिलिपि:-
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन)/राजभाषा प्रभारी

(vii) पिछली बैठक का कार्यवृत्त की पुष्टि।

(viii) उस पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई।

(ix) उच्च अधिकारियों द्वारा हिन्दी में टिप्पणी।

(x) पत्रिकाओं में मंत्रालयों/विभागों से संबंधित विषय वस्तुओं पर लेख।

(xi) विभागीय बैठकों में हिन्दी का प्रयोग।

(xii) मंत्रालयों/विभागों से संबंधित विषय वस्तुओं पर कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का आयोजन।

(xiii) तकनीकी विषयों पर हिन्दी में लेख तैयार करवाना।

(xiv) वेबसाइट के द्विभाषीकरण तथा उस पर हिन्दी में उपलब्ध कराई गई जानकारी की स्थिति।

2. सदस्यों से लाभकारी सलाह प्राप्त करने के उद्देश्य से, इन मदों के बारे में समिति के सदस्यों को सूचित किया जाना चाहिए ताकि इन विषयों पर विचार-विमर्श करके वे अपनी सलाह दे सकें। इस पत्र की एक प्रतिलिपि सलाहकार समितियों के सभी सदस्यों को उनकी सूचना के लिए भी भेजी जाए।

का॰ ज्ञा॰ सं॰ II/20015/4/2000-रा॰भा॰ (नीति-2), दिनांक 31.5.2000

विषय:— हिन्दी सलाहकार समितियों में गैर-सरकारी सदस्यों के चयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिन्दी सलाहकार समिति में संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा 4 हिन्दी व राजभाषा के विद्वान गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नामित किये जाते हैं। दिनांक 30.04.1997 के का॰ ज्ञा॰ सं॰ II/20015/9/97-रा॰भा॰ (नीति-2)द्वारा जारी हिन्दी सलाहकार समितियों के गठन/पुनर्गठन से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे गैर-सरकारी सदस्यों को नामित करते समय निम्नलिखित शर्तों का ध्यान रखा जाना चाहिए:—

(i) प्रस्तावित गैर-सरकारी सदस्य को संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा निष्पादित विषय तथा उसके कार्यक्षेत्र का अच्छा एवं पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।

(ii) उपरोक्त के साथ-साथ नामित सदस्य राजभाषा हिन्दी में लेखन या/प्रचार-प्रसार या/प्रकाशन और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से निष्ठा से जुड़ा होना चाहिए।

2. यह देखने में आया है कि कुछ व्यक्ति एक साथ कई मंत्रालयों/विभागों की समितियों के लिए गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित हो जाते हैं जिससे वे अपने कार्य के साथ न्याय नहीं कर पाते। फलस्वरूप कई अन्य उच्च कोटि के विद्वान जिनकी सेवाओं से मंत्रालयों/विभागों की सलाहकार समितियां लाभान्वित हो सकती हैं, गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नामित न हो पाने के कारण इनमें अपना सहयोग नहीं दे पाते। अत: इस संदर्भ में पहले से जारी शर्तों में निम्न शर्तें भी जोड़ने का निर्णय लिया गया है:—

(i) कोई भी व्यक्ति एक समय में दो से अधिक हिन्दी सलाहकार समितियों में गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नामित न किया जाए (इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन से पूर्व उनसे यह जानकारी ले ले कि क्या वे इससे पूर्व किसी मंत्रालय विभाग की हिन्दी सलाहाकार समिति के सदस्य हैं या नहीं; और यदि हां तो मंत्रालय/विभाग का काम तथा तिथि जब से वे सदस्य हैं)।

(ii) गैर-सरकारी सदस्य ऐसे हों जिनकी समाज में छवि अच्छी हो तथा जो नि:स्वार्थ भाव से राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु उपयोगी एवं व्यावहारिक सुझाव दे सकें।

(iii) मंत्रालय/विभाग द्वारा नामित किए जाने वाले 4 गैर-सरकारी सदस्यों के लिए लोक सभा/राज्य सभा के सदस्यों तथा राज्यों की विधान सभाओं/विधान परिषदों के सदस्यों को नामित न किया जाए।

(iv) राजभाषा विभाग द्वारा नामित किए जाने वाले सदस्य सामान्यतया उन राज्यों से होंगे जिन्हें उस समिति में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला हो।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपनी हिन्दी सलाहकार समिति के गठन/पुनर्गठन करते समय उपर्युक्त बातों का ध्यान रखें।

का॰ ज्ञा॰ सं॰ II/120013/1/98-रा॰भा॰ (नीति-2), दिनांक 9.2.1998

विषय:— राजभाषा संबंधी सुझाव/स्पष्टीकरण।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों और अन्य संगठनों से समय-समय पर राजभाषा नीति के संबंध में प्रस्ताव/सुझाव प्राप्त होते रहते हैं और इस विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों की व्याख्या और स्पष्टीकरण भी मांगा जाता है। इस बारे में इस विभाग में विस्तार से विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न कार्यालयों आदि के सुझावों का परीक्षण, प्रथमत: संबंधित मंत्रालय/विभाग स्तर पर किया जाए और उसके बाद ही आवश्यकतानुसार उसको राजभाषा विभाग को परीक्षण/स्पष्टीकरण हेतु भेजा जाए।

2. संदर्भ में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि मामले का परीक्षण राजभाषा अधिकारी अर्थात् संयुक्त सचिव, प्रभारी राजभाषा, के स्तर पर किया गया है।